

पंचायती राज मंत्रालय

ग्राम पंचायतों के लिए सुरक्षित बचपन कार्यक्रम पर पुस्तिका, मॉड्यूल एवं दिशा-निर्देश जारी

Posted On: 05 JUN 2017 8:29PM by PIB Delhi

ग्राम पंचायत स्तर पर बाल अधिकारों के संरक्षण पर मॉड्यूल एवं दिशा-निर्देशों के साथ एक पुस्तिका भी आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर), पंचायती राज मंत्रालय और यूनिसेफ द्वारा संयुक्त रूप से जारी की गई। पुस्तिका, मॉड्यूल एवं दिशा-निर्देश गांवों के स्तर पर बाल अधिकारों के संरक्षण में पंचायती राज संस्थानों के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के लिए उपयोगी साबित होंगे।

केन्द्रीय पंचायती राज मंत्रालय में सचिव श्री जितेनृद्ध शंकर माथुर ने पुस्तिका जारी करते हुए इसे ऐतिहासिक अवसर बताया। उन्होंने कहा कि जब तक समुदायों को इस मुहिम में शामिल नहीं किया जायेगा तब तक गांवों के स्तर पर बच्चों के जीवन में व्यापक बदलाव सुनिश्चित करना एक कठिन चुनौती है। श्री माथुर ने यह भी कहा कि देश में उपलब्ध लाभप्रद कानूनों को सही अर्थों में अमल में

लाया जाना चाहिए, ताकि देश के बच्चों को सशकृत बनाया जा सके। उन्होंने सुझाव दिया कि त्वरित नतीजे हासिल करने के लिए एनसीपीसीआर और यूनिसेफ की पहल को पूरे उत्साह के साथ

एनसीपीसीआर की अध्यक्ष श्रीमती स्तुति कक्कड़ ने समुदाय की ओर से मिलने वाली सहायता की अहमियत को रेखांकित किया जो पहले आसानी से उपलब्ध हो जाया करती थी। उन्होंने कहा कि आज के बदलते सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य में बच्चे सदैव सुरक्षित नहीं रहते हैं। अत: इस मुहिम में ग्राम पंचायतों को शामिल करने से सुरक्षित एवं संरक्षित बचपन सुनिश्चित करने में काफी मदद मिलेगी। श्रीमती कक्कड़ ने कहा कि इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यूनिसेफ के सहयोग से पुस्तिका, मॉड्यूल और दिशा-निर्देश तैयार किये गये हैं।

एनसीपीसीआर की सदस्य श्रीमती रूपा कपूर ने शहरों की तरफ बच्चों के आकर्षित होने की प्रवृत्ति पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि बच्चों को ऐसा प्रतीत होता है कि शहरों में कहीं ज्यादा सुख-सुविधा एवं बेहतर अवसर उपलब्ध हैं। श्रीमती कपूर ने कहा कि समुदाय की भागीदारी का मुख्य उद्देश्य यह है कि बच्चे गांवों में ही रहने के लिए प्रेरित होते रहें। उन्होंने कहा कि सबसे पहले इस कार्यक्रम का शुभारंभ उन 14 राज्यों (आंध्र प्रदेश, अंडमान एवं निकोबार, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश) में किया जायेगा जहां कार्यरत राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोगों (एससीपीसीआर) का कामकाज अच्छा पाया गया है।

एनसीपीसीआर के सदस्य श्री यशवंत जैन एवं सदस्य सचिव श्रीमती गीता नारायण और 14वें राज्य आयोगों के अध्यक्ष/सदस्यगण भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

वीके/आरआरएस/वीके - 1625

अपनाया जाना चाहिए।

(Release ID: 1491850) Visitor Counter: 15









in